

14.02.23

मूल वाद पत्र के साथ आज गद पत्रावली  
पेशी में ली गई। चूंकि मूल वाद पत्र निस्तमित  
हो चुका है। ऐसी स्थिति में गद प्रार्थना पत्र  
सारहीन होने पर इसी स्तर पर खारिज किया  
जाता है। अब में जारी अन्तिम आस्थाई निषेधाज्ञा  
सिस्टम की जाती है। पत्रावली वाद तब तक तकनीक  
होकर हाजिर इफ्तल हो।

*Omits*  
(अभिजा विज्ञोई)  
**अपखण्ड अधिकारी**  
घड़साना